संख्या–06 / सा0सु0बं0म0(अनुमंडल निगरानी)–307 / 2010– 220
झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा)

समार / FAX

प्रेषक,

विष्णु कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
(गोड्डा, चतरा, हजारीबाग,देवघर, गढ़वा, गिरिडीह,
खूँटी, लातेहार, साहेबगंज, जामताड़ा एवं दुमका को छोड़कर)

राँची, दिनांक-20/April / 2012

विषय :– बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–13 के आलोक में अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति के गठन के संबंध में।

प्रसंग :– पत्रांक–332 दि0–11.07.2009, 471 दि0–5.11.2009 एवं 356 दि0–07.08.2010, 387 दि0–25.8.2010, 477 दिनांक–05.10.2010, 135 दिनांक–16.03.2011 तथा 282 दिनांक–30.06.2011.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–610 दिनांक–09.10.2004 द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम–1976 की धारा–13 के आलोक में अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। ज्ञातव्य है कि गठित अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति का प्रत्येक दो वर्षों में पुर्नगठन किया जाना है। महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–एस–11011 / 1 / 2006 बी0एल0 दिनांक–29.05.2006 में उल्लिखित कंडिकाओं के आलोक में अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों में यदि बदलाव की आवश्यकता हो तो पुनः नये सिरे से अनुमंडल निगरानी समिति का गठन करके दिनांक–27.04.2012 को विभागीय बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी या कोई अन्य पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किये गये हों–अध्यक्ष।
2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 3 (तीन) व्यक्ति, जो अनुमंडल क्षेत्र के निवासी हों, का मनोनयन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
3. अनुमंडल में रहने वाले दो सामाजिक कार्यकर्त्ता, जिनका मनोनयन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
4. अधिकतम तीन व्यक्ति जो, अनुमंडल में ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी या गैर सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि हों, उपायुक्त के द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
5. एक व्यक्ति, जो अनुमंडल की आर्थिक और साख संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हों उनका मनोनयन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
6. इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत एक ऐसे पदाधिकारी भी होंगे जो अनुमंडल स्तर पर कार्यरत हैं।

ज्ञातव्य है कि बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना एक सम्वेदनशील विषय है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास का अनुश्रवण किया जाता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका संख्या–3922 / 1985 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में नियमित प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं पर राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाते हैं। कंडिका–4 में उल्लिखित तीन व्यक्ति जो सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों के प्रतिनिधि हो और अनुमंडल के ग्रामीण विकास से संबंधित हो, उनको अपने स्तर से मनोनीत करके उनका नाम भेजना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी सदस्यों का मनोनयन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करके भेजें। इस संबंध में एक पक्ष में अपना प्रतिवेदन नव गठित अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की सूची के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

(विष्णु कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–06 / सा0सु0बं0म0(अनुमंडल निगरानी)–307 / 2010– 220 राँची, दिनांक– 20.4.2012

प्रतिलिपि:–संबंधित सभी सहायक निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।